...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

... सख्या : 96/2011

रामेश्वर पुत्र गणपत नाथ जाति नाथ निवासी मऊ तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री हरीश राजावत

दायरा दिनांक: 06.04.2011 निर्णय दिनांक : 16.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खाते की भूमि खाता संख्या 227 वाके ग्राम मऊ में स्थित है। सेटलमेंट विभाग द्वारा पैमाईश करते वक्त मेंरे खाते की भूमि साबिक खसरा नं0 186 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा तथा खसरा नं0 187 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा जिनके हाल खसरा नं0 204 रकबा 0.89 है0 खसरा नं0 205 रकबा 1.09 है0 बने है वर्तमान में सेटलमेंट द्वारा साबिक खसरा नं0 186 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा के लगभग 0.98 है0 भूमि बननी चाहिए जिसमें 0.09 है0 की कमी की गयी है इसी प्रकार खसरा नं0 187 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा की 1.20 है0 भूमि बननी चाहिए जिसमें 0. 11 है0 की कमी की गयी है अतः कमी हुई रकबे की पूर्ति करने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 06.04.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र कमांक/भू0अ0/2016/07 दिनांक 13.07.2016 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि जमाबंदी सम्वत 2071--74 के खाता संख्या 400 में खातेदार रामेश्वर पुत्र गणपतनाथ जाति योगी सा0 देह के नाम खसरा नं0 202 रकबा 1.18 है0 खसरा नं0 204 रकबा 0.89 है0 खसरा नं0 205 रकबा 1.09 है0 खसरा नं0 794 रकबा 0.03 किता 4 रकबा 3.19 है0 भूमि दर्ज खाता है। उक्त आराजी सेटलमेंट पूर्व खातेदार मन्नी

के खाते दर्ज थी। प्रार्थी के खाते में कुल 0.12 है0 रकबे की कमी हुई है। वर्तमान खसरा ...बा 0.77 है0 भूमि प्रार्थी के पूर्वजो के द्वारा बेचान किये जाने के कारण वर्तमान में केता गण के ... है। समीपवर्ती खसरा नम्बरान का मिलान किये जाने से स्पष्ट हाल खसरा नं0 199 रकबा 1.14 ... पुराने खसरा नं0 980 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा का रकबा गत के मुकाबले 0.28 है0 बेशी पाया गया ... रेकार्ड अनुसार लटूर पुत्र बलदेव बैरवा के दर्ज खाता है मौके पर खसरा नं0 204, 205 एवं 199 के खातेदार पुराने रकबे अनुसार ही कब्जा काश्त है। अतः प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति हाल खसरा नं0 199 रकबा 1.14 है0 में से 0.12 है0 कम करके खसरा नं0 204 एवं 205 में कमशः 0.06–0.06 है0 बढाकर पूर्ति की जा सकती है। उक्त रकबा पूर्ति से पूर्व संबंधित खसरा नम्बर 199 रकबा 1.14 है0 के खातेदार लटूर पुत्र बलदेव बैरवा को भी सुना जाना उचित होगा।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने ग्राम मऊ की आराजी में दौराने सेटलमेंट खसरा नं0 186 में कमी रकबा 0.09 है0 की पूर्ति व खसरा नं0 187 में कमी रकबा 0.11 है0 की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है कि रिपोर्ट में अंकन किया की प्रार्थी के कमी रकबे की पूर्ति हाल खसरा नं0 199 रकबा 1.14 है0 में से 0.12 है0 कम करके खसरा नं0 204 एवं 205 में कमशः 0.06–0.06 है0 बढाकर पूर्ति की जा सकती है। उक्त रकबा पूर्ति से पूर्व संबंधित खसरा नम्बर 199 रकबा 1.14 है0 के खातेदार लटूर पुत्र बलदेव बैरवा को भी सुना जाना उचित होगा। खसरा नम्बर 199 रकबा 1.14 है0 के खातेदार लटूर पुत्र बलदेव बैरवा को अपना पक्ष रखने हेतु जर्ये सम्मन तलब किया गया सम्मन की तामिली प्रति शामिल फाईल है बावजूद सूचना लटूर पुत्र बलदेव बैरवा न्यायालय में उपस्थित नही है। अतः पत्राली में एक तरफा कार्यवाही करते हुए ग्राम मऊ की आराजी हाल खसरा नं0 199 रकबा 1.14 है0 में से 0.12 है0 कम करके खसरा नं0 204 एवं 205 में कमशः 0.06–0.06 है0 बढाकर खसरा नं0 204 का रकबा 0.95 है0 व खसरा नं0 205 रकबा 1.15 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय अ...

मजमेंआम में सुनाया गया।